

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1063 / एफ-1-46 / 31 / एस-2 / 2022,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 05/03/2024

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- गरियाबंद जिले के विकासखंड-गरियाबंद की पैरी सिकासार बांध में स्टाप लॉक लगाने, गेट में पेंटिंग कार्य, कंट्रोल का जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1114/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2021/9552, दिनांक 22.11.2021.

राज्य शासन एतद् द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखंड-गरियाबंद की पैरी सिकासार बांध में स्टाप लॉक लगाने, गेट में पेंटिंग कार्य, कंट्रोल का जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु लागत राशि रु. 1020.34 लाख (रुपये दस करोड़ बीस लाख चौतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य जीर्णोद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ विस्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विस्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग लेखाशीर्ष-4700-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [06]-पैरी परियोजना, {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (5685)-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य, #26-वृहद् निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-216/सी.एन.-31-00261/बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 28.02.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


05/03/24
(प्रमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1064 / एफ-1-46 / 31 / एस-2 / 2022,

नवा रायपुर, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-सर्वेक्षण मण्डल रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।


05/03/24
अतिर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग